# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
## राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2024

1. छीतर पुत्र हरजी जाति जाट निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं सहायक भू अभिलेख अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर
2. गोगा पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर
3. किशना पुत्र रूघनाथ
4. अन्नू पुत्री विश्राम जरिये संरक्षक माता सुरेश देवी (तर्क)
5. अभय पुत्री विश्राम जरिये संरक्षक माता सुरेश देवी
6. मतिया पुत्री विश्राम जरिये संरक्षक माता सुरेश देवी
7. नन्दा पुत्र किशना,
8. मंजू पुत्री विश्राम
9. मनभर पुत्री विश्राम जरिये संरक्षक माता सुरेश देवी
10. शिवदयाल पुत्र विश्राम जरिये संरक्षक माता सुरेश देवी
11. सुरेश देवी पत्नी विश्राम
12. हजारी पुत्र किशना
13. हीरा पुत्र किशना
14. अमरचन्द पुत्र रंगलाल
15. भागचन्द पुत्र रंगलाल
16. रणजीत पुत्र कानाराम
17. रतनलाल पुत्र भँवरा
18. रामधन पुत्र भँवरा
19. रामेश्वर पुत्र कानाराम
20. रामदेव पुत्र हरजी राम
21. भँवरी पत्नी हरजी राम
22. शारदा पुत्री हरजी राम
23. रतना पुत्र भैरू

    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर (राज.)
24. काना पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम तोलामाल तहसील किशनगढ जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

**<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956</u>**

दिनांकः 20/06/2024

| | | |
|---|---|---|
| उपस्थितः | श्री करतार सिंह चौधरी | प्रार्थी अभिभाषक |
| | श्री रामदेव गुर्जर | अप्रार्थीगण सं0 2 व 24 अभिभाषक |

**निर्णय**

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:16 IST
Reason: SelfAttested

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री करतार सिंह चौधरी के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 बाबत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि ग्राम तोलामाल पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ स्थित कृषि आराजी ख0नं0 64 रकबा 4.3929 हैक्टेयर किस्म बारानी व ख0नं0 63 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म गै.मु. चाह प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे काश्त खातेदारी की है जिस पर प्रार्थी काबिज है। उक्त कृषि आराजी के समीप वन भूमि है तथा उक्त भूमि के पास ही ग्राम तिलोनियां से ग्राम तोलामाल जाने वाला आम रास्ता है तथा उसके पास ही ख0नं0 28 गै.मु. चरागाह है। इस कारण से प्रार्थी की कृषि भूमि में खड़ी फसलों को वन्य प्राणी व आवारा पशु आये दिन नुकसान पहुँचाते रहते है जिसके कारण प्रार्थी के परिजनों को रात दिन रखवाली करनी पडती है जिससे शारीरिक परेशानी के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। इसी कारण प्रार्थी अपनी प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजी के चारों ओर तारबंदी करना चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित उसके खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान् तहसीलदार साहब, किशनगढ को आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर श्रीमान् तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक/मू.अ./सीमाज्ञान/2023/75 दिनांक 18.04.2023 की पालना में पटवारी हल्का बड़गांव द्वारा दिनांक 23.05.2023 को सीमाज्ञान करवाया जिसे अप्रार्थी नं. 2 के परिजनों ने अस्वीकार किया इसी कारण यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी व निशानदेही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजी के चारों ओर ख0नं0 20, 23, 24, 26, 27, 62, 67, 68 व 69 की कृषि अराजी स्थित है जिसमे ख0नं0 23 अप्रार्थी नं. 3, ख0नं0 24 अप्रार्थी नं. 4 से लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी, ख0नं0 26 अप्रार्थी नं. 14 से लगायत 22 की संयुक्त खातेदारी, खसरा नं. 27 अप्रार्थी नं. 23 की खातेदारी की तथा ख0नं0 62 अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी तथा ख0नं0 67 अप्रार्थी नं. 24 की खातेदारी की होने के कारण उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी नं. 1 भू धारक व सहायक भू अभिलेख अधिकारी किशनगढ होने के कारण उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी नं. 2 के परिजनों ने तहसीलदार महोदय, किशनगढ के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2023/75 [illegible] 18.04.2023 की अनुपालना में पटवारी हल्का बड़गांव द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र [illegible] संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

परिजनों के सम्मुख सीमाज्ञान करवाया तथा उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थी संख्या 2 के परिजनों ने स्वीकार करने से इन्कार किया जो निरन्तर जारी है। यदि प्रार्थी को उसकी प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी व निशानदेही नहीं करवाई गई तो प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि आराजी पर तारबंदी करवाया जाना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम तोलामाल पटवार हल्का बड़गांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर की कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी व निशादेही किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix II, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 3 व 5 से 22 के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 2 व 24 की ओर से वकील रामदेव गुर्जर द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 2 व 24 की ओर से वकील रामदेव गुर्जर द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 24 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि व रास्ते के बीच में चारागाह व खातेदारी आराजी है तो उन्हे पार करके किस प्रकार से कोई जानवर फसल को नुकसान पहुचा सकता है प्रार्थी द्वारा केवल मात्र जवाबकर्तागण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चुंकि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष झुठे कथनों के आधार पर जवाबकर्ता संख्या 2 की भूमि में से रास्ता चाहने बाबत् अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है एवं उक्त पैरे में जो जवाबकर्ता की भूमि में से कभी आते–जाते नहीं है प्रार्थी द्वारा झुठे कथन अंकित किये गये है प्रार्थी द्वारा मौके पर कभी भी प्रार्थी की भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है। जबकी प्रार्थी द्वारा यह कही भी अंकित नहीं किया गया है अर्थात कही भी ख0नं0 नही किया गया है कि प्रार्थी उक्त ख0नं0/रास्ते से होते हुये अप्रार्थीया की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जबकी अप्रार्थीया की भूमि से किसी भी प्रकार से कोई रास्ता लगता हुआ नही है। इस प्रकार प्रार्थी को किसी भी प्रकार से रास्ता नहीं दिया जा सकता है चुंकि प्रार्थी को यह दर्शाना आवश्यक होगा कि प्रार्थी रास्ता/रोड से किस प्रकार से होते हुये अप्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

की भूमि में से रास्ता चाहिए इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा जब मौके पर सीमाज्ञान करवाया गया तब जवाबकर्तागण को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं थी एवं ना ही सीमाज्ञान बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुये है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा जानबुझ कर जवाबकर्ती को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकी आवश्यक पक्षकार को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। इस कारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असंयोजन व कुसंयोजन के आधार पर निरस्तनीय है इस बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। **"Suit can be dismissed for non-joinder & miss-joinder of necessary party"** प्रार्थी द्वारा झुठे कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है चुंकि जो सीमा ज्ञान करवाया गया है जिसकी जानकारी जवाबकर्तागण को किसी भी प्रकार से नहीं है ना ही कोई सूचना दी गयी है, प्रार्थी केवल अप्रार्थीया को हैरान व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है जो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र से साफ जाहीर हो रहा है कि प्रार्थी द्वारा अलग से रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मय हर्जे–खर्चे खारीज करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि आराजी के चारों ओर ख0नं0 20, 23, 24, 26, 27, 62, 67, 68 व 69 की कृषि अराजी स्थित है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण उस समय उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी नं. 2 के परिजनों ने तहसीलदार महोदय, किशनगढ के आदेश क्रमांक भू.अ./सीमाज्ञान/2023/75 दिनांक 18.04.2023 की अनुपालना में पटवारी हल्का बड़गांव द्वारा प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का दिनांक 23.05.2023 को प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 के परिजनों के सम्मुख सीमाज्ञान करवाया तथा उक्त सीमाज्ञान को अप्रार्थी संख्या 2 के परिजनों ने स्वीकार करने से इन्कार किया जो निरन्तर जारी है। यदि प्रार्थी को उसकी प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 1 में उल्लेखित कृषि आराजी ख0नं0 63 व 64 का सीमाज्ञान [illegible] पत्थरगढ़ी व निशानदेही नहीं करवाई गई तो प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी की [illegible] आराजी पर तारबंदी करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

जाना संभव नही होगा तथा प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः वकील प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 2 व 24 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि व रास्ते के बीच में सरकारी व खातेदारी आराजी है तो उन्हे पार करके किस प्रकार से कोई जानवर फसल को नुकसान पहुचा सकता है प्रार्थी द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा जब मौके पर सीमाज्ञान करवाया गया तब जवाबकर्तागण को किसी भी प्रकार से कोई सूचना नहीं थी एवं ना ही सीमाज्ञान बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुये है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। अतः जवाबकर्ता द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही मय हर्जे–खर्चे खारीज करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम तोलामाल स्थित आराजी ख0नं0 64 रकबा 4.3929 हैक्टेयर व ख0नं0 63 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी की भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा में ख0नं0 64 रकबा 4.3929 हैक्टेयर व ख0नं0 63 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि का स्पष्ट अंकन है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम तोलामाल स्थित ख0नं0 64 रकबा 4.3929 हैक्टेयर व ख0नं0 63 रकबा 0.0243 हैक्टेयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.6.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Choudhary
Date: 2024.06.24 19:53:16 IST
Reason: SelfAttested